उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग-3

संख्या- 10/2017/2084 सी0डी0/46-3-17-3(2)/2011

लखनऊ : दिनांक 04 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनयम संख्या-1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनयम संख्या-चौबीस, सन् 1953) की धारा-28 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं;

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-2 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-2 में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-एक विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थपित खण्ड
(ख) "बजट वर्ष" का तात्पर्य प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से है।	(ख) "बजट वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

आज्ञा से

संजय आर. भूसरेड्डी

प्रमुख सचिव।

संख्या - 10 /2017/2084(1) सी0डी/46-3-17-3(2)/2011-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, ऐशबाग, लखनऊ को, अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी (हस्ताक्षरित) की एक-एक प्रति सहित, इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचनाओं को दिनांक 04.09.2017 के असाधारण गजट अंक के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराने एवं अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी (प्रत्येक) की 1500 मुद्रित प्रतियां प्राथमिकता पर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)

विशेष सचिव।

-----2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-10/2017/ 2084 (2) सी0डी/46-3-17-3(2)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
5- निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ।
7- समस्त अपर/संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
10- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2, उ.प्र. शासन।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
CHINI UDYOG ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.10/2017/2084C.D./46-3-17-3(2)/2011 dated:: September 04 ,2017:

NOTIFICATION

No. 10 /2017/2084C.D ./46-3-17-3(2)/2011
Dated Lucknow, September 04, 2017

In exercise of the powers under section 28 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act. No. XXIV of 1953) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act N0. 1 of 1904) , the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954 :-

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2017

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Second Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force with effect from the date of their puplication in the Gazette.

Amendment of rule -2

2. In the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954, hereinafter referred to as the said rules, in rule 2, for clause (b) set out column I below, the clause as set out in column II shall be substituted, namely:

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing clause	**clause as hereby substituted**
(b) "**Budget Year**" means the year commencing from the first day of July.	(b) "**Budget Year**" means the period of twelve months commencing on the the first day of April of a Calander year.

By order,

SANJAY R. BH00SREDDY
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।